राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1007/2011

गजानन्द धनबारिया **–अपीलार्थी**

बनाम

1. आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, मनरेगा, जयपुर।
3. अति. जिला परियोजना संयोजक, सह मुख्य अधिशाषी अधिकारी, जिला परिषद झालावाड़।
4. परियोजना अधिकारी सह विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत समिति बानेठ, पंचायत समिति, मनोहरथाना, जिला झालावाड़।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 04.09.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी पंचायत समिति, मनोहरथाना में जुनियर टेक्निकल अंसिसटेंट के पद पर कार्यरत है तथा वह ग्राम पंचायत बनेठ के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत बनेठ, पंचायत समिति मनोहरथाना में निर्माण कार्य करवाया गया, जिस कार्य का भुगतान संबंधित व्यक्ति को किया गया। स्पेशल ऑडिट टीम ने मनरेगा योजना के तहत कराये गये कार्य का ऑडिट किया। ऑडिट टीम द्वारा जांच करने के उपरांत अपीलार्थी से 77145/– रुपये की वसुली किये जाने का आदेश दिनांक 25.05.2010 पारित किया गया, जिसे अपीलार्थी ने इस अपील में चुनौती है। जिसके द्वारा अपीलार्थी से गलत प्रकार से रिकवरी की जा रही है। अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 25.05.2010 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलार्थी को जांच रिपोर्ट की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई गई और अपीलार्थी से जवाब भी नहीं मांगा गया। ऐसे में बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलार्थी से वसुली किया जाना उचित नहीं है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि ग्राम पंचायत बनेठ, पंचायत समिति मनोहरथाना की चमरगढ से लोधीपुरा

ग्रेवल सड़क निर्माण कार्यों की विशेष जांच–सामाजिक अंकेक्षण की सम्पुर्ण कार्यवाही स्वयं अपीलार्थी की उपस्थिति में ही सम्पन्न हुई है इसलिए अपीलार्थी का यह कथन कि नैचूरल जस्टिस का वायलेसन किया गया, जो पुर्णतया गलत और कपोलकल्पित है। कानून किसी भी कार्मिक को पदीय अनियमितता और पदीय दुरूपयोग की इजाजत नही देता है। अपीलार्थी ने पदीय दुरूपयोग कर राज्य के राजकोष को वित्तिय क्षति पहुंचाई और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की घोर अवहेलना कर अनियमितताऐ कारित किये जाने के कारण विशेष जांच–सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट आधार पर दिनांक 25.05.2010 को वसुली आदेश जारी किया गया उक्त नोटिस बिना किसी दुर्भावना और दबाब के पारित किया गया है जो पुर्णतया विधिक होने से तथा अपीलार्थी की उक्त अपील सारहीन तथ्यो पर आधारित होने से मय कोस्ट मय स्थगन आदेश के काबिल निरस्त योग्य है। जिसे निरस्त फरमाने का हुक्म प्रदान करावे ।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
4. दोनों पक्षों को अंतिम रूप से सुना गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि केवलमात्र जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी से वसुली की जा रही है, जबकि जांच के दौरान अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है न ही अपीलार्थी के विरूद्ध वसुली की कार्यवाही किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया।
5. अपीलार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में न्या यिक दृष्टांत 2013(1) WLC (Raj.) 423 सागर मल जैन बनाम राजस्थायन राज्य प्रस्तुत किया गया है। जिसमें नरेगा के कार्यों में अनियमितता के कारण भुगतान की वसुली बिना सुनवाई का अवसर दिये किये जाना उचित नहीं माना है।
6. अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से अपनी इस अपील में यह अभिकथन किया हैं कि अपीलार्थी के वेतन से वसुली किये जाने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को उसकी जांच के संबंध में पारित रिपोर्ट का कारण तथा नोटिस प्रदान नहीं किया गया, न ही स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अतः हम यह पाते है कि अपीलार्थी से वसुली किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

7. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी के वेतन से वसुली किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाये एवं पूर्ण अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात ही वसूली के संबंध में न्यायसंगत आदेश पारित किया जाये। तब तक वसुली की कार्यवाही नहीं की जाये।

8. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)